संख्या:07/2017/1758/24-पी-2-17-सा0(144)/17

प्रेषक:

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।**
2. **अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण निगम लि0, लखनऊ।**

ऊर्जा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2017**

विषय:- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों, केस्को, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अधोलिखित निर्णय लिये गये हैः-

(क) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण राज्य सरकार के पेंशनरो की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-39/2016-सा-03-923/दस /2016/308/2016, दिनांक 23.12.2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। पेंशन का पुनरीक्षण कोषागार स्तर पर कर दिया जाय।

(ख) दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का संशोधन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016, दि0-18.07.2017 तथा शासनादेश संख्या-31/2017/सा-3-524/दस-2017-308(8)/2016, दिनांक 04.09.2017 के प्राविधानो को भी संज्ञान में लिया जाये। शासनादेश दिनांक 18.07.2017 एवं शासनादेश दिनांक 04.09.2017 के अनुसार कार्यवाही सम्बन्धित विद्युत कम्पनियों द्वारा की जायेगी।

(ग) ऊर्जा क्षेत्र की उपर्युक्त कम्पनियों के दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे कार्मिको जिन्हे पेंशन अनुमन्य है, की पेंशन का निर्धारण शासनादेश संख्या-38/2016/सा-3-921/दस-2016/308/2016, दिनांक 23.12.2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(घ) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को के साथ-साथ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के समस्त पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन का लाभ निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(i) ऊर्जा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2016/41/24/पी-2-16-सा0 (84)/2014 दिनांक 13 जनवरी, 2016 के प्रस्तर-3 (vii) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विभिन्न निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 19.08 प्रतिशत (अथवा जो दर निर्धारित की जाय) का अंशदान समस्त निगम राजकोष में नियमित रूप से जमा करते रहेंगे।

(ii) संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का नकद भुगतान जनवरी, 2018 भुगतान माह फरवरी, 2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक की अवधि के अवशेषों के भुगतान के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(iii) दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण राजकीय पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 23.12.2016 के अनुसार कोषागार स्तर पर किया जायेगा।

(iv) राजकीय पेंशनरों की पेंशन संशोधन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 18.07.2017 एवं 04.09.2017 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के अंतिम आहरित वेतन के दिनांक 01.01.1986, 01.01.1996, 01.01.2006 एवं 01.01.2016 को नोशनल निर्धारण की कार्यवाही विद्युत कम्पनियों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जायेगी तथा पंेशन निर्धारण हेतु आवश्यक अभिलेख नोशनल वेतन निर्धारण के आदेश सहित निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे। ऊर्जा कम्पनियों के सेवानिवृत्त कार्मिकों में से ऐसे कार्मिक जो राज्य सरकार में समूह 'क' के समतुल्य पदों से सेवानिवृत्त हुए हों, के प्रकरण निदेशक, पेंशन को तथा समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के समतुल्य पदों से सेवानिवृत्त पेंशनरों के प्रकरण मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे। समूह 'घ' के पेंशनरों के प्रकरण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।

(v) दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त ऊर्जा कम्पनियों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी उपर्युक्तानुसार निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन होंगे। उक्त तिथि को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक लाभ के प्रकरण ऊर्जा कम्पनियों के निवर्तमान पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के स्थान पर निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(vi) समूह 'घ' के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष (जहाँ से कार्मिक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक वेतन आहरित हुआ हो) होंगे।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-10-यूओ-206/दस-2017 दिनांक 26.12.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 07/2017/1758(1)/24-पी-2-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0।

4- सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ

6- जिलाधिकारी, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक, जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in